न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/4499

1. लखन पिता धरमराज जाति खाती
2. शेखर पिता धरमराज जाति खाती
3. धरमराज पिता राजाराम जाति खाती
4. सावित्रीबाई पति धरमराज जाति खाती

सभी निवासी ग्राम गोविंदपुरा तह. व जिला धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्रेमबाई पिता तोलाराम पति रामेश्वर
   निवासी ग्राम अटाडा तह. देपालपुर जिला इंदौर
2. गीताबाई पिता तोलाराम पति रामेश्वर
   निवासी ग्राम कमनपुर तह. महू जिला इंदौर
3. बसीबाई पिता तोलाराम पति पुनमचंद
   निवासी ग्राम फफूंद तह. महू जिला इंदौर
4. मुन्नीबाई पिता तोलाराम पति रामकिशन
   निवासी ग्राम सीतापाट तह. महू जिला इंदौर
5. ललीबाई पिता तोलाराम पति मुकेश
   निवासी ग्राम बवलिया तह. व जिला इंदौर
6. रामीबाई विधवा तोलाराम
   निवासी ग्राम गोविंदपुरा तह. व जिला धार ....विपक्षीगण

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 16.11.17 को प्रस्तुत
[illegible] 16.11.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल

पे०दि० 14.12.17

[illegible] 16/11/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

(श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार की अपील क्रमांक 83/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है)

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम गोविंदपुरा प.ह.नं. 64 तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे 40/4/3 रकबा 0.209 हैक्टर, सर्वे नंबर 43/2 रकबा 0.314 हैक्टर, सर्वे नंबर 44 रकबा 1.170 हैक्टर, सर्वे नंबर 50/2 रकबा 0.126

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./धार/भू.रा./2017/4499 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	